

राजभाषा शाखा

विषय: राजभाषा निरीक्षण के दौरान कुछेक बिंदुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट भेजना।

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 03/12/2024 को श्री त्रिरत्न, उप निदेशक(राजभाषा), मुख्यालय द्वारा आपकी शाखा का राजभाषा निरीक्षण किया गया। राजभाषा निरीक्षण के दौरान पाए गए अपेक्षित बिंदुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है जिनका ब्योरा निम्नानुसार है :-

1. ई फ़ाइल में कर्मचारियों के नाम व पदनाम द्विभाषी करने की कार्रवाई करें।
2. अधिकारियों/कर्मचारियों से हिंदी रोस्टर फॉर्म भरवाकर एक प्रति अपनी शाखा में रखें तथा एक प्रति राजभाषा शाखा में भिजवा दें।
3. सभी टिप्पणियां हिंदी में ही लिखें।
4. टिप्पणी में अंग्रेजी शब्द के स्थान पर देवनागरी शब्द का अधिकाधिक प्रयोग करें।
5. मासिक रिपोर्ट अवर श्रेणी लिपिक या उससे उच्च स्तर के कर्मचारियों से तैयार करवाएं तथा आगामी माह की 05 तारीख तक राजभाषा शाखा में भिजवा दें।
6. चेक जारी रजिस्टर आदि में विवरण/प्रविष्टियां हिन्दी में तैयार करें।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त दर्शाए गए बिंदुओं पर यथोचित अनुवर्ती कार्रवाई कर इसकी अनुपालन रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को अगली कार्रवाई हेतु अनिवार्य रूप से दिनांक 20-12-2024 तक भेजना सुनिश्चित करें।

सहायक निदेशक(राजभाषा)

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की सभी शाखाएं

दिनांक 10/12/2024